

घोशणा पत्र

(शिक्षा हेतु सहायता)

मैं _____ सुपुत्र /पत्नी श्री _____
निवासी _____ बोर्ड पंजीकरण संख्या _____

निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरा सुपुत्र/सपुत्री _____ जो कक्षा _____ में अनुक्रमांक _____
सत्र/वर्ष _____ स्कूल / कॉलेज/ संस्थान _____
जिला _____ में नियमित विद्यार्थी है।
2. मैंने अपने सुपुत्र/सपुत्री की इसी कक्षा के लिए दोबारा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो० नं०: _____